राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक-03.01.2026 को अनुमंडल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बारसोई, कटिहार के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

निरीक्षण के क्रम में समाहर्त्ता, कटिहार, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई तथा बारसोई अनुमंडल के सभी अंचल के अंचल अधिकारी उपस्थित थे। सभी संबंधित कार्यालयों के आवश्यक कार्य कलाप विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों, न्यायालय से संबंधित मामलों आदि की संक्षिप्त समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है :-

1. कार्यालय एवं कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
2. अवमाननावाद/रिट याचिका से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले में कारण-पृच्छा/शपथ पत्र ससमय दायर किया जाय।
3. कार्यालय में न्यायालय, राजस्व एवं वित्तीय अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित किया जाय। लंबित अग्रिम तथा अभिश्रव के समायोजन की कार्रवाई एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।
4. निरीक्षण के तिथि को अंचलाधिकारी, बारसोई के न्यायालय में Bihar Public Land Encroachment Act से संबंधित कुल 14 वाद लंबित हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अंचलाधिकारी, बलरामपुर के न्यायालय में कुल 7 वाद लंबित हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के न्यायालय में 48(ई) बटाईदारी से संबंधित कुल 77 वाद लंबित हैं जिनमें 56 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (अपीलवाद) से संबंधित कुल 2106 वाद लंबित हैं जिनमें 1596 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 से संबंधित कुल 153 वाद लंबित हैं जिनमें 123 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

   अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
5. अंचल में मापी कार्यों की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी भी काफी संख्या में मामले मापी हेतु लंबित है। बारसोई में 03 आजमनगर में 04 बलरामपुर में 03 तथा कदवा में 05 अमीन कार्यरत है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए मापी हेतु प्राप्त आवेदनों में से एक ही क्षेत्र के मापी की एक ही तिथि निर्धारित किया जाय। ताकि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। कई लंबित मामलों के संदर्भ में विपक्षी/अन्य लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने की बात बताई गई। इस संबंध में निर्धारित SOP का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपस्थिति में विडियोग्राफी कराते हुए तथा सभी तथ्यों को अंकित करते हुए मापी प्रतिवेदन तैयार किया जाए। तदनुसार एक माह से अधिक लंबित सभी मापी कार्य का निष्पादन किया जाय।
6. अंचल कार्यालय, आजमनगर में Mutation के 2246 वाद लंबित हैं जिनमें 1005 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 568 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 180 आवेदन अंचलाधिकारी, आजमनगर के लॉगिन में एवं 206 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में लंबित हैं। अंतिम आदेश हेतु CO के लॉगिन में 01 मामले तथा RO cum CO के लॉगिन में शून्य मामले लंबित हैं।

अंचलाधिकारी, कदवा कार्यालय में Mutation के 1611 वाद लंबित हैं जिनमें 633 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 557 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। अंचलाधिकारी, कदवा के लॉगिन में 325 एवं 226 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में लंबित हैं। अंतिम आदेश हेतु CO के लॉगिन में 91 मामले तथा RO के लॉगिन में 48 मामले लंबित हैं।

अंचलाधिकारी, बारसोई कार्यालय में Mutation के 1844 वाद लंबित हैं जिनमें 1005 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 554 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 392 आवेदन अंचलाधिकारी, बारसोई के लॉगिन में एवं 378 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में लंबित हैं। अंतिम आदेश हेतु CO के लॉगिन में 9 आवेदन तथा राजस्व अधिकारी के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु 48 आवेदन लंबित हैं।

अंचलाधिकारी, बलरामपुर कार्यालय में Mutation के 455 वाद लंबित हैं जिनमें 267 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 128 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 165 आवेदन अंचलाधिकारी, बलरामपुर के लॉगिन में एवं 100 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में लंबित हैं। अंतिम आदेश हेतु CO के लॉगिन में 57 आवेदन तथा राजस्व अधिकारी के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु 38 आवेदन लंबित हैं।

7. समीक्षा में यह पाया गया कि राजस्व पदाधिकारी के स्तर से दाखिल-खारिज के मामलों में बिना समीक्षा/मंतव्य के अंचल अधिकारी के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है जो उचित स्थिति नहीं है। अतः सभी राजस्व पदाधिकारी से यह अपेक्षित है कि दाखिल खारिज वाद के संदर्भ में हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संगत कागजातों की पूरी जाँच करते हुए आवेदित जमीन के संदर्भ में आवेदक के Legal Right/Legal and Peaceful Possession को विनिश्चित करते हुए सकारण एवं सही मंतव्य के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। समरूप कार्रवाई हल्का कर्मचारी के स्तर से भी अपेक्षित है। ताकि गलत दाखिल खारिज की स्थिति न बने। साथ ही अंचलाधिकारी के स्तर से अंतिम आदेश में आपत्ति के बिन्दुओं पर सकारण विनिश्चय के आधार पर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। ताकि गलत दाखिल खारिज की स्थिति न बने।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई सभी अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं हल्का कर्मचारी की बैठक आयोजित करते हुए दाखिल खारिज आवेदनों के ससमय एवं नियमानुसार निस्तार हेतु आवश्यक Training देंगे।

8. अंचल कार्यालय बलरामपुर, बारसोई एवं कदवा में LPC के लिए प्राप्त आवेदनों की अस्वीकृति का प्रतिशत काफी अधिक है जो क्रमशः 37.10, 36.28 एवं 32.07 है। Parimarjan Plus [Online Jamabandi] के 180 आवेदन अंचलाधिकारी, आजमनगर के स्तर पर एवं 118 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 124 आवेदन अंचलाधिकारी, बलरामपुर के स्तर पर एवं 125 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 947 आवेदन अंचलाधिकारी, बारसोई के स्तर पर एवं 302 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 818 आवेदन अंचलाधिकारी, कदवा के स्तर पर एवं 203 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

Parimarjan Plus [Left Out Jamabandi] के 136 आवेदन अंचलाधिकारी, आजमनगर के स्तर पर एवं 72 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 94 आवेदन अंचलाधिकारी, बलरामपुर के स्तर पर एवं 68 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 440 आवेदन अंचलाधिकारी, बारसोई के स्तर पर एवं 145 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 252 आवेदन अंचलाधिकारी, कदवा के स्तर पर एवं 65 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

अभियान बसेरा-2 के तहत प्राप्त आवेदनों में से Not Fit For Allotment अंकित करते हुए कदवा, बलरामपुर एवं बारसोई द्वारा क्रमशः 58, 42 एवं 42 आवेदनों का निस्तार किया गया है। जो अधिक प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर इसकी समीक्षा कर ली जाए।

9. सरकारी भूमि के सत्यापन के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि प्रतिवेदन के अनुसार इस अनुमंडल अंतर्गत बलरामपुर अंचल के दो मौजा छोड़कर 883 मौजा में पोर्टल पर प्रविष्टि की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। कुल 23035 प्लॉट की प्रविष्टि की जा चुकी है जिसमें 13170 एकड़ जमीन को सन्निहित की गयी है। किन्तु प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी कायम करने के मामलो में क्या कार्रवाई की गयी। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए तत्काल जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अपर समाहर्त्ता को भेजा जाय। अपर समाहर्त्ता संबंधित पक्षकार को नोटिस करते हुए त्वरित रूप से सुनवाई कर सरकारी जमीन पर ऐसे सभी गलत जमाबंदी को रद्द करने के संदर्भ में सकारण आदेश से निस्तार करेंगे। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। तथा इस पर अंचल अधिकारी के स्तर से क्या कार्रवाई हुई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को इस संबंध में प्रतिवेदन संकलित करते हुए उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर एक माह के अंदर अंचल-वार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

10 समीक्षा में यह भी पाया गया कि विगत वर्ष-2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा चलाये गये राजस्व महाअभियान कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों पर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्राप्त सभी आवेदनों को तत्काल त्वरित गति से अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड किया जाय। ऐसे सभी मामलों पर अंचल अधिकारी समयबद्ध रूप से कार्रवाई करते हुए नियमानुसार निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे।

11 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई को निदेश दिया जाता है कि अगले एक माह के अंदर सभी अंचल का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण/समीक्षा के सभी बिन्दुओं पर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करायेंगे।

12 अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 4 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निदेश समाहर्त्ता, कटिहार को दिया जाता है।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक . 61 पूर्णिया, दिनांक 05/01/2026

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी, बारसोई, आजमनगर, बलरामपुर एवं कदवा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

P.K.
05/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।